

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/92 दिनांक : 13-5-2013

—:: कार्यालय आदेश ::—

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प3(25)नविवि/3/2006 जयपुर दिनांक 23.11.2012 के द्वारा विगत वर्षों में ई. डब्ल्यू. एस., एल. आई. जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों पर मासिक किशतों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 31.03.2013 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। इसी क्रम में मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 289 दिनांक 31.01.2013 प्रसारित किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प3(25)नविवि/3/2006 जयपुर दिनांक 06.05.2013 के द्वारा छूट की अवधि दिनांक 30.06.2013 तक बढ़ायी गयी है।

इसी अनुरूप मण्डल स्तर पर भी मासिक किशतों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 30.06.2013 तक छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत रा. आ. म.
11. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म.
12. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार